



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

पी0एम0जी0एस0वाई, सिं0ख0, पुरोला (उत्तरकाशी)

Office of the Executive Engineer PMGSY, I.D. Purola Uttarkashi)

E-Mail : eepmgssypurola@rediffmail.com

Tel.No. : 01373-223730

पत्रांक-387 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सिं0ख0,

दिनांक-17.05.2025

सेवामें,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कॉलोनी,
देहरादून।

विषय- जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगांव-पुरोला मोटर मार्ग कि0मी0 2.00 से थल्ली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 11.6735 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विकास को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/23445/2017)

सन्दर्भ- 1- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र सं0-BB/UCP/06/07/2021/FC/1685 दिनांक 01.03.2023

2- आपके कार्यालय का पत्रांक सं0-1623, दिनांक-16.02.2024, पत्रांक सं0-1421 / 12-1, देहरादून- दिनांक 16.11.2023, एवं पत्रांक सं0-1101 / 12-1 दिनांक 04.12.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र 02 बिन्दुओं की सूचना चाही गयी थी जिसके अनुपालन में सूचना आख्या मागने हेतु आपके कार्यालय द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट तथा प्रभागीय वनाधिकारी टौन्स वन प्रभाग, पुरोला को लिया गया था, जिसकी सूचना उक्त दोनों वन प्रभाग द्वारा आपको पृथक रूप से प्रेषित कि जा चुकी है तथा इस खण्ड द्वारा भी उक्त दोनों वन प्रभाग द्वारा प्रदान सूचना की प्रति पुनः पृथक रूप से अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0
पुरोला (उत्तरकाशी)

पत्रांक- / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सिं0ख0 /

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।
3. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 (ग0क्षे0), देहरादून।
5. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0, मसूरी।
6. सहायक अभियन्ता, श्री लोकेश कुमार, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0, पुरोला।

अधिशासी अभियन्ता

पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0
पुरोला (उत्तरकाशी)

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,

फोन/फैक्स नं०- 01375-224233 E-Mail dfobarkot@gmail.com उत्तराखण्ड वन्यजीव हेल्प लाइन नं० 1926

पत्रांक- 3262 / 12-1 बड़कोट, दिनांक 22 / अप्रैल / 2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगांव पुरोला मोटर मार्ग कि०मी० 2.00 से थली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 11.6735 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में। (FP/UK/ROAD/23445/2017)

सन्दर्भ:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक- 1421/12-1, दिनांक 16.11.2024 ।

महोदया,

अवगत कराना है कि उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में 02 बिन्दुओं पर सुस्पष्ट सूचना चाही गई है, जिसके क्रम में आख्या निम्नानुसार प्रेषित है :-

बिन्दु संख्या 01 के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित मोटर मार्ग निर्माण से सम्बन्धी टौन्स वन प्रभाग, पुरोला एवं इस वन प्रभाग का प्रत्यावर्तित क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र०सं०	प्रभाग का नाम	क्षेत्रफल (है० में)
1.	अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।	9.581
2.	टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।	2.0925
	योग	11.6735

अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट से हस्तान्तरित कुल क्षेत्रफल 9.581 है० भूमि के सापेक्ष 19.162 है० सिविल सोयम भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त हुई। उक्त प्रस्ताव में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 29.04.2019 को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशी से सम्बन्धित शर्तों के अनुपालन में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-क-972/3-5-2(II) दिनांक 21.11.2017 के अनुसार वसूली वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित दर के आधार पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक के रख रखाव हेतु धनराशि 5873747.00 रु० सम्बन्धी मांग पत्र इस कार्यालय के पत्रांक-605/12-1, दिनांक 30.08.2019 से प्रयोक्ता एजेन्सी को भेजा गया था (संलग्नक-1)। जिसके क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा धनराशि 5873747.00 रु० कैम्पा कोष में जमा कर चालान की छाया प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की गई (संलग्नक-2)।

बिन्दु संख्या 02 के क्रम में अवगत कराना है कि विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव अन्तर्गत विषयक मोटर मार्ग से उत्सर्जित मलवा निस्तारण हेतु कुल 05 डम्पिंग जोन सिविल क्षेत्र में स्वीकृत हुए थे। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्धारित डम्पिंग क्षेत्रों के अतिरिक्त आरक्षित वन भंकोली कक्ष संख्या 2वीं में मलवा डाले जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में आने के फलस्वरूप वन विभाग द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार एवं कार्यदायी संस्था के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए राजिवाद संख्या-02/नौगांव वर्ष 2021-22 जारी किया गया था एवं सम्बन्धितों से धनराशि 108948.00 (एक लाख आठ हजार नौ सौ अड़तालीस) रु० का जुर्माना वसूल किया गया था।

अतः आख्या महोदया की सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त आख्या कृपया अपने स्तर से कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(रविन्द्र पुण्डरी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,
फोन/फैक्स नं०- 01375-224233, E-Mail dfobarkot@gmail.com, वन मित्र कॉल सेंटर- 9208008000

पत्राक- 605 / 12-1 दिनांक, बड़कोट, अगस्त 20 2019।

सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड पुरोला

विषय:-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत नौगांव पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से थली गांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 9.581 है० वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य क्षेत्र) देहरादून की स्वीकृति संख्या-08बी/यू.सी.पी./06/109/2018/एफ.सी./153 दिनांक 29.04.2019।

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य क्षेत्र) देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयगत मोटर मार्ग निर्माण प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्त संख्या 1 तथा 2 के अनुसार जमा की जाने वाली धनराशि का मांग पत्र जो इस इस कार्यालय के पत्रांक -6348/12-1 दिनांक 28.05.2019 से प्रेषित किया गया था को शंसोधित करते हुए मांग पत्र निर्धारित प्रपत्र में इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि मांग के अनुसार धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर जमा की गई धनराशि के चालान की प्रमाणित छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या 1 से 6 तक की अनुपालन आख्या मय प्रमाण पत्रों के तीन प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि शर्तों की अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जा सकें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

01/

भवदीय,

(प्रदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(प्रदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगांव पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से थली गांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 9.581 हे० वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत गैर वाणिज्यिक कार्य हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट

क्र० सं०	मोटर मार्ग का नाम	हरतान्तरित की जाने वाली वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	ईको क्लास श्रेणी	हरियाली का घनत्व	मव का विवरण	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का क्षेत्रफल (हे० में)	दर प्रति हे० (प्रमुख वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक क 972/3-5-2(11) दिनांक 21.11.2017 के अनुसार बसूली वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित दर के अनुसार)	जमा की जाने वाली आकलित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगांव पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से थली गांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 9.581 हे० वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत गैर वाणिज्यिक कार्य हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।	9.581	5	0.2	1- प्रत्यावर्तित भूमि के बदले दो गुने सिविल सोयम भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि	19.162	306531.00 प्रति हे०	5873747.02
					2- एन०पी०वी० की धनराशि	9.581	657000.00 प्रति हे०	6294717.00
कुल योग		रु० एक करोड़ इक्कीस लाख अठसठ हजार चार सौ चौंसठ						12168464.00

(प्रदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

(संलग्नक-२)

पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

Office of the Executive Engineer PMGSY, I.D. Purola (Uttarkashi)

E-Mail : eepmgsypurola@rediffmail.com

Tel.No. : 01373-223730

पत्रांक- 1113 / पी०एम०जी०एस०वाई० / सि०ख०

दिनांक 15 / 10 / 2019

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग,
बड़कोट।

विषय:-

जनपद उत्तरकाशी में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत नौगांव पुरोला मोटर मार्ग किमी० 2.00 से थली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 11.6735 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग के प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या।

सन्दर्भ:-

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक संख्या 3221/FP/UK/ROAD/23445/2017 दिनांक 28.05.2019 एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक संख्या 08/बी/यू०सी०पी० 06/109/2018/एफ०सी०/153, दिनांक 29.04.2019

महोदय

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा उक्त विषयक नौगांव पुरोला मोटर मार्ग किमी० 2.00 से थली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 11.6735 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु सर्शत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसकी अनुपालन आख्या निम्नानुसार है।

बिन्दु संख्या :- 01- के अनुपालन के क्रम में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 23.347 है० थली सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये) जमा कर दी गई है। (संलग्नक 1 व 2) तथा उक्त भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण हेतु जिलाधिकारी उत्तरकाशी के कार्यालय आदेश संख्या 11162/ग्यारह-05 (2016-17), दिनांक 21.09.2019 के क्रम में राजस्व निरीक्षण की आख्या अमलदरामद अनुसार दिनांक 09.10.2019 को उक्त भूमि का अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट एवं उपवन संरक्षक, टौस वन प्रभाग पुरोला के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है। (संलग्नक 3 व 4)

बिन्दु संख्या :- 02- के अनुपालन के क्रम में एन०पी०वी० की निर्धारित धनराशि जमा करा दी गई है। (संलग्नक 1 व 2)

बिन्दु संख्या :- 03- के अनुपालन के क्रम में यदि एन०पी०वी० की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी जायेगी। (संलग्नक 5)

बिन्दु संख्या :- 04- के अनुपालन के क्रम में सभी निधियां (CA Cost NPV Etc) को बैंब पोर्टल पर Online Genrate किये गये चालान के द्वारा उचित ऑनलाईन माध्यम द्वारा ही किया गया है। (संलग्नक 1 व 2)

4/15/16

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Sl. No.	Proposal Detail	Application No	Application No (New)	Date of Inv.	Amount to be Paid/Amount Paid (in PRINCIPLE Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/23445/2017 Viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/23445/2017 Construction of Nongoon Puria NH Km 2 To Thel Geon	ROAD2344520179936	123445593	29 Apr 2019	CA: 7156579.02/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 8062879.51/-, Other Charges: 0/- Charges1: 0/- Charges2: 0/- Charges3: 0/- Total: 15219458.52/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 02 Sep 2019 Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 05 Sep 2019 Transaction Date 04 Oct 2019	Demand Letter (.\\mteroaddata\\Fundpdf\\1113112511213277\\mteroaddemand.pdf) Generated Challan (.\\UserAccount\\Nft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD2344520179936)
2	FP/UK/ROAD/23290/2016 Viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/23290/2016 NH 94 KHARADI NAGADGAON KM 9.00 TO BACHUN GAON UNDER PHGSY	ROAD2329020165186	123290518	25 Jun 2019	CA: 825181/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 894322/-, Other Charges: 0/- Charges1: 0/- Charges2: 0/- Charges3: 0/- Total: 1709503/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 20 Aug 2019 Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 25 Aug 2019 Transaction Date 31 Aug 2019	Demand Letter (.\\mteroaddata\\Fundpdf\\1113112311217151\\Bachungondemand.pdf) Generated Challan (.\\UserAccount\\Nft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD2329020165186)
3	FP/UK/ROAD/31650/2018 Viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/31650/2018 Construction of Rajachetti to Nisni Motor Road	ROAD3165020182076	131650207	13 Jun 2019	CA: 1635075/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 1166274.97/-, Other Charges: 0/- Charges1: 0/- Charges2: 0/- Charges3: 0/- Total: 2821349.97/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 20 Aug 2019 Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 25 Aug 2019 Transaction Date 31 Aug 2019	Demand Letter (.\\mteroaddata\\Fundpdf\\11191211217AWPJC1(4).pdf) Generated Challan (.\\UserAccount\\Nft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD3165020182076)
4	FP/UK/ROAD/11303/2015 Viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11303/2015 Bachungon to gal	ROAD1130320158356	111303835	25 Sep 2018	CA: 2321279/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 2736405/-, Other Charges: 0/- Charges1: 0/- Charges2: 0/- Charges3: 0/- Total: 5057684/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 31 Jan 2019 Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 15 Feb 2019 Transaction Date 22 Feb 2019	Demand Letter (.\\mteroaddata\\Fundpdf\\11111124512151BA4ENSV.1) Generated Challan (.\\UserAccount\\Nft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD1130320158356)
5	FP/UK/ROAD/23116/2016 Viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/23116/2016 Construction of Arakot Bhutani motor road km 10.00 To Dainali	ROAD2311620161766	123116176	19 Jun 2018	CA: 4625835/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 7013500/-, Other Charges: 0/- Charges1: 0/- Charges2: 0/- Charges3: 0/- Total: 11639339/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 22 Jul 2018 Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 23 Jul 2018 Transaction Date 31 Jul 2018	Demand Letter (.\\mteroaddata\\Fundpdf\\11120122612151V041npv.1) Generated Challan (.\\UserAccount\\Nft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD2311620161766)

Executive Engineer
PMGSY, I.D., Purola,
(Uttarkashi)

http://forestclearance.nic.in/UserAccount/Payment_history.aspx

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 05-09-2019

Agency Name.	PMGSYID PUROLA
Application No.	6123445993
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/109/109/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Executive Engineer P.M.G.S.Y.I.D. Purola (Uttarkashi)
Amount(In Rs).	15219458.52/-

Amount In Words :One Crore Fifty-Two Lakh Nineteen
Thousand Four Hundred and Fifty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896123445993 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi-110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 05-09-2019

Agency Name.	PMGSYID PUROLA
Application No.	6123445993
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/109/109/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Executive Engineer P.M.G.S.Y.I.D. Purola (Uttark Uttarkashi)
Amount(In Rs)	15219458.52/-

Amount In Words :One Crore Fifty-Two Lakh Nineteen
Thousand Four Hundred and Fifty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896123445993 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

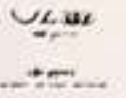
- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcompa@corpbank.co.in

Name: Nageon Purola m/r Km 2.00 to Thali M/R

Executive Engineer
PMGSY, I.D., Purola,
(Uttarkashi)

Executive Engineer
P.M.G.S.Y., I.D., Purola
(Uttarkashi)



पत्रांक-1073 /12-1 दिनांक, पुरोला,

20/09/2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं मोडल अधिकारी,
वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
विषय- पी0एम0जी0एस0वाई के अन्तर्गत नौगांव-पुरोला मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 से थली मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव की विधिवत स्वीकृति के सम्बन्ध में
सन्दर्भ- आपके कार्यालय के पत्र सं0-1101/12-1 दिनांक 04.12.2023।
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र में आपके द्वारा 02 बिन्दुओं पर सूस्पष्ट सूचना चाही गयी है, जो कि निम्न प्रकार प्रेषित है-

बिन्दु सं0-01. के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित मोटर मार्ग 02 वन प्रभागों के अन्तर्गत प्रस्तावित है।
जिनका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0सं0	मोटर मार्ग का नाम	प्रभाग का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)
1	नौगांव-पुरोला मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 से थली मोटर मार्ग।	अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।	9.581
		टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।	2.0925
		कुल योग-	11.6735

उक्त तालिका के अनुसार, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला का कुल 2.0925 है0 क्षेत्र ही मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित है। उक्त क्षेत्र के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोण हेतु दोगुने क्षेत्रफल 4.185 है0 थली सोयम में प्रस्तावित है, जिसका मु0-12, 82.832/= का प्राक्कलन इस कार्यालय के पत्र सं0-1739/12-1 दिनांक 17.11.2023 के द्वारा प्रेषित किया गया था। (छायाप्रति संलग्न)

बिन्दु सं0-02. के क्रम में प्रश्नगत स्थल की जाँच वन क्षेत्राधिकारी, पुरोला द्वारा करवाई गयी एवं उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड पुरोला के द्वारा नौगांव-थली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य करवाया जा रहा था। निर्माण कार्य के उत्सर्जित मलवे को कार्यदायी संस्था/ठेकेदार द्वारा निर्धारित डम्पिंग क्षेत्र में ना डाल कर ढडुंग कक्ष0 सं0-1 में गिरा दिया था, जिससे चीड़ प्रजाति के विभिन्न व्यास वर्ग के 03 वृक्ष क्षतिग्रस्त हुए हैं एवं मलवे से (20X11.52=230 वर्ग मी0) आरक्षित वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। उक्त प्रकरण में भारतीय अधिनियम, 1927 की सुसंगत धाराओं में एच-2 केस जारी किया गया है तथा विवेचना निष्कर्ष का देखते हुये अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पुरोला को सैद्धान्तिक स्वीकृति में निर्धारित शर्तों का उत्सर्जन करने के उपरान्त पूर्ण रूप से दोषी पाया गया, जिसका जुर्म इनके द्वारा अपने बयानों में लिखित रूप से कबूल किया गया है। तदनुसार इस कार्यालय के पत्र सं0-674/12-1, दिनांक 17.08.2024 से अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पुरोला को उक्त नौगांव-थली नव मोटर मार्ग निर्माण कार्य से आरक्षित वन क्षेत्र में उत्सर्जित मलवे के अनुचित स्थल में डम्पिंग करने के कारण हुयी राजकीय क्षति का 5 गुना जो मु0-176900/- (एक लाख छियत्तर हजार नौ सौ रूपये) की जुर्माना धनराशि जमा करने हेतु लिखा गया, जिसके सापेक्ष इनके द्वारा अपने पत्र सं0-769/पी0एम0जी0एस0वाई0/सि0खं0/दिनांक 29.08.2024 से प्रस्तुत डी0डी0 को इस कार्यालय द्वारा घातान के माध्यम से उक्त निर्धारित जुर्माना धनराशि को जमा किया जा चुका है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
संलग्न-उपरोक्तानुसार।

0/C

भूतरीय
(डी0पी0ए0जी0सी0)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

Office of the Executive Engineer PMGSY, I.D. Purola (Uttarkashi)

E-Mail : eepmgsypurola@rediffmail.com

Tel.No. : 01373-223730

पत्रांक- 43 / पी०एम०जी०एस०वाई० / सि०ख०

दिनांक 9/1/2023

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग,
बड़कोट उत्तरकाशी।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत नौगांव-पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से थलीगांव मोटर मार्ग निर्माण हेतु 11.6735 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक संख्या 08बी/यू०सी०पी०/06/109/2018/एफ०सी०/153 दिनांक 29.04.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या इस कार्यालय के द्वारा पूर्व में 04 प्रतियों में मूल प्रति सहित प्रेषित कर दी गई थी। उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् पुनः अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रेषित है।

क्र० सं०	शर्त	अनुपालन आख्या
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 23.347 है० (19.1620 है० अपर यमुना, नालुका तोक, ग्राम थली एवं 4.185 है० फारेस्ट डिविजन) है० ग्राम- नालुका तोक, ग्राम थली सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग-3 संख्या-1047/X-3-22/14(02)/2021 भाग-1 देहरादून दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को 19.162 है० आरक्षित वन भूमि एवं उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग-3 संख्या-130/X-3-22/1(136)/2018 देहरादून दिनांक 21 दिसम्बर 2022 को 4.185 है० क्षेत्रफल संरक्षित वन घोषित कर दिया गया है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 0.1(39.9.2) की छायाप्रति संलग्न है।
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक संख्या-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक संख्या-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा कर दी गयी है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 0.3 की छायाप्रति संलग्न है।

3.	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरें में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बढ़ता प्रस्तुत की जाए।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या04..... की छायाप्रति संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक संख्या-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दुसरी सभी निधियां (CA cost, NPV etc) को वैब पोर्टल पर ऑन लाईन जनरेट किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑल लाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गई राशि सैन्धान्ति स्वीकृति की अनुपालन के रूप में माय नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक संख्या-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा कर दी गई है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या ...0.5... की छायाप्रति संलग्न है।
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां जहां सभा हो सड़क के दोनों किनारों तथा Centeal Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बढ़ता प्रेषित करनी होगी।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या06..... की छायाप्रति संलग्न है।
6	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जायेगी।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या0.7..... की छायाप्रति संलग्न है।
7	एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या ...0.4...की छायाप्रति संलग्न है।
8	प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 23.347 है0 (19.1620 है0 अपर यमुना, नालुका तोक, ग्राम थली एवं 4.185 है0 फारेस्ट डिविजन) है0 ग्राम- नालुका तोक, ग्राम थली सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।	उत्तरखण्ड शासन वन अनुभाग-3 संख्या-1047/X-3-22/14(02)/2021 भाग-1 देहरादून दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को 19.162 है0 आरक्षित वन भूमि एवं उत्तरखण्ड शासन वन अनुभाग-3 संख्या-130/X-3-22/1(136)/2018 देहरादून दिनांक 21 दिसम्बर 2022 को 4.185 है0 क्षेत्रफल संरक्षित वन घोषित कर दिया गया है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 01.1.1.02 .. की छायाप्रति संलग्न है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या ...0.8... की छायाप्रति संलग्न है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या0.9.....की छायाप्रति संलग्न है।

11	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां सभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip plantation की जाएगी।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 6.6.....की छायाप्रति संलग्न है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों की क्षति न पहुँचे।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 10.....की छायाप्रति संलग्न है।
13	परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 11.....की छायाप्रति संलग्न है।
14	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 12.....की छायाप्रति संलग्न है।
15	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 507(Upper Yamuma FD-313 एवं Tons FD-194) से अधिक न हो।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 13.....की छायाप्रति संलग्न है।
16	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 14.....की छायाप्रति संलग्न है।
17	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 15.....की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार 04 प्रतियों।

ok 
अधिशायी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0
पुरोला उत्तरकाशी

पत्रांक- 43 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सिं0ख0 / पुरोला / तदिनांक
प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इन्दार नगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को
सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ok 
अधिशायी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0
पुरोला उत्तरकाशी

उत्तराखण्ड शासन

वन अनुभाग-3

संख्या: 1047/X-3-22/14(02)/2021

देहरादून: दिनांक: 10 सितम्बर, 2022

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या-16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जिला उत्तरकाशी में नौगांव मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से थली मोटर मार्ग निर्माण हेतु हस्तान्तरित 23.34 है० आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी-9(3)ड० (अन्य कारणों से वंजर भूमि) के 19.162 है० क्षेत्रफल जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ-साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं:-

तालिका

क्र०स०	जनपद	ग्राम	खाता संख्या	खसरा		क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कुल भूमि (है०)	भूमि की किस्म
				संख्या	क्षेत्रफल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	उत्तरकाशी	थली	33	2635 म०	5.316	19.162	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०
				2636 म०	4.423		
				2640 म०	0.015		
				2670 म०	0.316		
				2672 म०	0.187		
				2674 म०	0.286		
				2681 म०	1.214		
				2862 म०	0.607		
				2864 म०	1.304		
				2891 म०	0.932		
				3202 म०	0.773		
				3203 म०	0.778		
				2797 म०	0.125		
				3204 म०	2.116		
				2276 म०	0.246		
				2235 म०	0.507		
				2258 म०	0.017		
कुल :-				19.162	19.162		

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

कुल :- 19.162 19.162

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०

उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(

उपरोक्त क्षेत्र भू-अमिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार की अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

भाग-2 (सीमा विवरण)

वृक्षारोपण क्षेत्र के सीमांकन हेतु प्रस्तावित सीमा स्तम्भों का विवरण (जी०पी०एस० लोकेशन सहित) निम्न प्रकार है।

Co-ordinates of Plantation Site		
ID	Longitude	Latitude
1	78°06' 39.952" E	30°47' 8.694" N
2	78° 06' 36.163" E	30°47' 7.935" N

3	78° 06' 36.912" E	30°47' 6.266" N
4	78° 06' 33.060" E	30°47' 4.851" N
5	78° 06' 29.705" E	30°47' 3.330" N
6	78° 06' 27.837" E	30°47' 2.239" N
7	78° 06' 23.172" E	30°47' 1.106" N
8	78° 06' 23.848" E	30°47' 0.033" N
9	78° 06' 23.585" E	30°46' 55.295" N
10	78° 06' 27.316" E	30°46' 46.266" N
11	78° 06' 29.902" E	30°46' 44.292" N
12	78° 06' 34.421" E	30°46' 45.562" N
13	78° 06' 35.032" E	30°46' 48.989" N
14	78° 06' 36.722" E	30°46' 53.005" N
15	78° 06' 42.403" E	30°46' 58.876" N
16	78° 06' 45.173" E	30°46' 59.315" N
17	78° 06' 47.729" E	30°47' 3.570" N
18	78° 06' 41.107" E	30°47' 3.125" N

Signed by Vijay Kumar
Yadav

(विजय कुमार यादव)
सचिव।

Date: 09-10-2022 13:11:34

संख्या:- 1047/X-3-22/14(02)/2021, तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन महानिरीक्षक, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोरबाग रोड, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. जिलाधिकारी, जनपद-उत्तरकाशी।
8. प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।
9. उप जिलाधिकारी, बडकोट।
10. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की को साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड (ब), भाग-4 में प्रकाशनार्थ।
11. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
12. गार्ड फाईल।

Signed by Satya Prakash
Singh

आज्ञा से,

Date: 10-10-2022 12:26:27

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

वन अनुभाग-3

संख्या: 136/X-3-22/1(136)/2018

देहरादून दिनांक 21 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या-16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जिला उत्तरकाशी में पुरोला रेंज के अन्तर्गत नौगांव पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी०-2 से थली गांव मोटर मार्ग निर्माण हेतु हस्तान्तरित 2.0925 है० आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी-9(3)ड० (अन्य कारणों से बंजर भूमि) के 4.185 है० क्षेत्रफल जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ-साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं:-

तालिका

क्र०स०	जनपद	ग्राम	खाता संख्या	खसरा		क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु वयनित कुल भूमि (है०)	भूमि की किस्म
				संख्या	क्षेत्रफल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	उत्तरकाशी	थली	33	2258	0.405	4.185	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०
				2266	0.331		
				2299	0.407		
				2291	0.952		
				2283	0.451		
				2303	0.932		
				2314	0.707		
				कुल योग :-		4.185	

उपरोक्त क्षेत्र भू-अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार को अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

भाग-2 (सीमा विवरण)

वृक्षारोपण क्षेत्र के सीमांकन हेतु प्रस्तावित सीमा स्तम्भों का विवरण (जी०पी०एस० लोकेशन सहित) निम्न प्रकार है।

Co-ordinates of Plantation Site		
ID	Longitude	Latitude
1	E-78° 6' 39.952"	N-30°47' 8.694"
2	E-78° 6' 36.163"	N-30°47' 7.935"
3	E-78° 6' 36.912"	N-30°47' 6.266"
4	E-78° 6' 33.060"	N-30°47' 4.851"
5	E-78° 6' 29.705"	N-30°47' 3.330"
6	E-78° 6' 27.837"	N-30°47' 2.239"
7	E-78° 6' 23.172"	N-30°47' 1.06"

(विजय कुमार यादव)
सचिव।

Signed by Vijay Kumar
Yadav

Date: 21-12-2022 10:20:38

संख्या:- 130/ X-3-22/1(136)/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन महानिरीक्षक, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोरबाग रोड, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक (HOF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. जिलाधिकारी, जनपद-उत्तरकाशी।
8. उप वन संरक्षक, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।
9. उप जिलाधिकारी, पुरोला।
10. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की को साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड (ब), भाग-4 में प्रकाशनार्थ।
11. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
12. गार्ड फाईल।

Signed by Satya Prakash
Singh

Date: 21-12-2022 11:43:05

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।

0/4 11/11/17 03

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Sno.	Proposal Detail	Application No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE Rs.)	Amount to be Paid/Amount Paid (IN PRINCIPLE Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/23445/2017 Viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/23445/2017 Construction of Naugaoon Puroia MR km 2 To Thak Gion	ROAD234452017993	6123445993	29 Apr 2019	CA: 7156579.02/- Adil CA: 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety: 0/- Adil PA: 0/- Zone: 0/- Other: 0/- NPV: 8062879.5/- Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 15219458.52/-	0	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Corporation Bank Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date 04 Oct 2019	Demand Letter (/UserAccount/Viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/23445/2017) Generated Challan (/UserAccount/Viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/23445/2017)
2	FP/UK/ROAD/23290/2016 Viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/23290/2016 NH 94 KHULADI NAGADGAON KM 9.00 TO BACHAN GAON UNDER PMGSY	ROAD232902016516	6123290516	05 Jun 2019	CA: 825181/- Adil CA: 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety: 0/- Adil PA: 0/- Zone: 0/- Other: 0/- NPV: 884322/- Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1709503/-	0	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Corporation Bank Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date 25 Aug 2019	Demand Letter (/UserAccount/Viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/23290/2016) Generated Challan (/UserAccount/Viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/23290/2016)
3	FP/UK/ROAD/31650/2018 Viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/31650/2018 Construction of Ranachatti to Nisau Motor Road	ROAD316502018207	6131650207	13 Jun 2019	CA: 163507/- Adil CA: 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety: 0/- Adil PA: 0/- Zone: 0/- Other: 0/- NPV: 1186374.97/- Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 261349.97/-	0	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Corporation Bank Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date 11 Aug 2019	Demand Letter (/UserAccount/Viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/31650/2018) Generated Challan (/UserAccount/Viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/31650/2018)
4	FP/UK/ROAD/11303/2015 Viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/11303/2015 Remission to gear	ROAD113032015835	611303835	05 Sep 2018	CA: 231274/- Adil CA: 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety: 0/- Adil PA: 0/- Zone: 0/- Other: 0/- NPV: 231274/- Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 505708/-	0	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Corporation Bank Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date 22 Feb 2019	Demand Letter (/UserAccount/Viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11303/2015) Generated Challan (/UserAccount/Viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11303/2015)
5	FP/UK/ROAD/23116/2016 Viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/23116/2016 Construction of Arakot Shitwan motor road km 13.00 to Dantuli	ROAD2311620161706	6123116176	19 Jun 2018	CA: 407583/- Adil CA: 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety: 0/- Adil PA: 0/- Zone: 0/- Other: 0/- NPV: 391350/- Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1162933/-	0	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Corporation Bank Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date 11 Jul 2019	Demand Letter (/UserAccount/Viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/23116/2016) Generated Challan (/UserAccount/Viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/23116/2016)

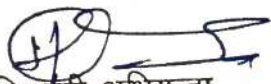
Executive Engineer
PMGSY, I.D., Puroia,
(Uttarkashi)

कार्य का नाम:- जनपद उत्तरकाशी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगांव-पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से थलीगांव मोटर मार्ग निर्माण हेतु 11.6735 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरें में अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)

2018-05-05

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 05-09-2019

Agency Name.	PMGSYID PUROLA
Application No.	6123445993
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/109/109/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Executive Engineer P.M.G.S.Y.I.D. Purola (Uttark Uttarkashi)
Amount(in Rs)	15219458.52/-

Amount in Words :One Crore Fifty-Two Lakh Nineteen
Thousand Four Hundred and Fifty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896123445993 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 05-09-2019

Agency Name.	PMGSYID PUROLA
Application No.	6123445993
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/109/109/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Executive Engineer P.M.G.S.Y.I.D. Purola (Uttark Uttarkashi)
Amount(in Rs)	15219458.52/-

Amount in Words :One Crore Fifty-Two Lakh Nineteen
Thousand Four Hundred and Fifty-Nine Rupees Only

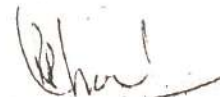
NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896123445993 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Name : Nageson Purola m/r Ann 2.00 to Thali M/R

कार्य का नाम:- जनपद उत्तरकाशी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगांव-पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से थलीगांव मोटर मार्ग निर्माण हेतु 11.6735 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात् जहां जहां सभा हो सड़क के दोनों किनारों तथा Cental Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation की जायेगी।


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)

संलग्नक- 07

कार्य का नाम:- जनपद उत्तरकाशी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगांव-पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से थलीगांव मोटर मार्ग निर्माण हेतु 11.6735 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जायेगी।


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)


अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)

कार्य का नाम:- जनपद उत्तरकाशी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगांव-पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० २.०० से थलीगांव मोटर मार्ग निर्माण हेतु ११.६७३५ है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)

कार्य का नाम:- जनपद उत्तरकाशी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगांव-पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से थलीगांव मोटर मार्ग निर्माण हेतु 11.6735 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)

कार्य का नाम:- जनपद उत्तरकाशी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगांव-पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से थलीगांव मोटर मार्ग निर्माण हेतु 11.6735 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)

कार्य का नाम:- जनपद उत्तरकाशी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगांव-पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से थलीगांव मोटर मार्ग निर्माण हेतु 11.6735 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)

कार्य का नाम:- जनपद उत्तरकाशी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगांव-पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से थलीगांव मोटर मार्ग निर्माण हेतु 11.6735 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 507(Upper Yamuma FD-313 एवं Tons FD-194) से अधिक न हो।


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)

कार्य का नाम:- जनपद उत्तरकाशी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगांव-पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से थलीगांव मोटर मार्ग निर्माण हेतु 11.6735 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)

कार्य का नाम:- जनपद उत्तरकाशी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगांव-पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से थलीगांव मोटर मार्ग निर्माण हेतु 11.6735 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

Office of the Executive Engineer PMGSY, I.D. Purola (Uttarkashi)

Tel.No. : 01373-223730

E-Mail : eepmgspurola@rediffmail.com

दिनांक 17/04/2023

पत्रांक- 81 / पी०एम०जी०एस०वाई० / सि०ख०

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी
टौंस वन प्रभाग, पुरोला
उत्तरकाशी।

विषय:-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत नौगांव-पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से थलीगांव मोटर मार्ग निर्माण हेतु 11.6735 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/23445/2017 ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक संख्या 08बी/यू०सी०पी०/06/109/2018/एफ०सी०/153 दिनांक 29.04.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या इस कार्यालय के द्वारा पूर्व में 04 प्रतियों में प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग बडकोट को मूल प्रति सहित प्रेषित कर दी गई थी। कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इंदिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 2613/FP/UK/ROAD/23445/2017 दिनांक 30.04.2022 के क्रम में उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रेषित है।

क्र० सं०	शर्त	अनुपालन आख्या
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 23.347 है० (19.1620 है० अपर यमुना, नालुका तोक, ग्राम थली एवं 4.185 है० फॉरेस्ट डिविजन) है० ग्राम-नालुका तोक, ग्राम थली सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग-3 संख्या-1047/X-3-22/14(02)/2021 भाग-1 देहरादून दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को 19.162 है० आरक्षित वन भूमि एवं उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग-3 संख्या-130/X-3-22/1(136)/2018 देहरादून दिनांक 21 दिसम्बर 2022 को 4.185 है० क्षेत्रफल संरक्षित वन घोषित कर दिया गया है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 01 एवं 02 की छायाप्रति संलग्न है।
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक संख्या-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक संख्या-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा कर दी गयी है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 03 की छायाप्रति संलग्न है।
3.	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरें में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बढ़ता प्रस्तुत की जाए।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 04 की छायाप्रति संलग्न है।

(Handwritten signature and date 17/11)

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक संख्या-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दुसरी सभी निधियां (CA cost, NPV etc) को बैंक पोर्टल पर ऑन लाईन जनरेट किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑल लाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गई राशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन के रूप में माय नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक संख्या-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा कर दी गई है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 05 की छायाप्रति संलग्न है।
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां जहां सभा हो सड़क के दोनों किनारों तथा Centreal Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 06 की छायाप्रति संलग्न है।
6	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जायेगी।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 07 की छायाप्रति संलग्न है।
7	एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 04 की छायाप्रति संलग्न है।
8	प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 23.347 है0 (19.1620 है0 अपर यमुना, नालुका तोक, ग्राम थली एवं 4.185 है0 फारेस्ट डिविजन) है0 ग्राम- नालुका तोक, ग्राम थली सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर	उत्तरखण्ड शासन वन अनुभाग-3 संख्या-1047 /X-3-22/14(02)/2021 भाग-1 देहरादून दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को 19.162 है0 आरक्षित वन भूमि एवं उत्तरखण्ड शासन वन अनुभाग-3

ता का एक प्रात क्षेत्राय

तावित वन क्षेत्र के लिये किसी भी प्रकार प्रेगा।

हेतु प्रस्तावित वन भूमि 0सी0 पिलर लगाकर orword एवं Back

-जहां संभव हो सड़क l Verge पर प्रयोक्ता पर वन विभाग की की जाएगी।

निर्माण कार्य के दौरान स्टॉफ के लिये रसोई की जायेगी, जिससे वे।

ख-रखाव के दौरान तैयों एवं जीव-जन्तुओं पहुंचायी जायेगी।

संरक्षित वन घोषित कर दिया गया है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 01 एवं 02 की छायाप्रति संलग्न है।

सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 08 की छायाप्रति संलग्न है।

सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 09 की छायाप्रति संलग्न है।

सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 06 की छायाप्रति संलग्न है।

सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 10 की छायाप्रति संलग्न है।

सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 11 की छायाप्रति संलग्न है।

कार्यालय को प्रेषित की जाएगी

9 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्र आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के का लेबर कैम्प नहीं लगाया जा

10 प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन का चार फीट ऊंचे आर0सी सीमांकन करेगा जिन पर F bearing अंकित किया जायेगा।

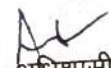
11 सड़क निर्माण के पश्चात् जहां के दोनों किनारों तथा Centra अभिकरण द्वारा अपने व्यय देख-रेख में Strip plantation

12 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति निकटवर्ती वनों की क्षति न पहुँ

13 परियोजना के निर्माण व आस-पास के क्षेत्र की वनस्पति को किसी प्रकार की क्षति नहीं

14	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 12 की छायाप्रति संलग्न है।
15	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 507(Upper Yamuma FD-313 एवं Tons FD-194) से अधिक न हो।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 13 की छायाप्रति संलग्न है।
16	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 14 की छायाप्रति संलग्न है।
17	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 15 की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार 04 प्रतियाँ।


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०
पुरोला उत्तरकाशी

पत्रांक- 81 / पी०एम०जी०एस०वाई० / सि०ख० / पुरोला / तदिनांक

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को
सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०
पुरोला उत्तरकाशी



कार्यालय

फोन / फैक्स नं०-01373-2.
E-Mail:- dfotons-forest-u
वन मित्र कॉल सेंटर-9208004

उप वन संरक्षक, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला
पत्रांक-2131 / 12-1 पुरोला, दिनांक, 19-01 — 2023।

सेवामें

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण इन्द्रिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय:-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्तगत नौगांव-पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से थली गांव मोटर मार्ग निर्माण हेतु 11.6735 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/23445/2017 ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-
महोदय,

आपके कार्यालय के पत्रांक सं०-2613 / FP/UK/ROAD/23445/2017 दिनांक 30.04.2022।

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में आपके स्तर से अनुपालन आख्या में कतिपय आपत्तियों दर्ज की गयी थी, जिसका निराकरण कर पुनः सम्पूर्ण अनुपालन आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न प्रकार प्रेषित है।

क्र० सं०	शर्त	अनुपालनआख्या
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 23.347 है० (19.1620 है० अपर यमुना, नालुकातोक, ग्राम थली एवं 4.185 है० फॉरेस्ट डिविजन) है० ग्राम-नालुकातोक, ग्राम थली सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रयोक्त अभिकरण में प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले 23.347 है० थली सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों के रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू०-12.82,832.00 जमा कर दी गयी है। उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग-3 संख्या-1047 /X-3-22/14(02)/2021 भाग-1 देहरादून दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को 19.162 है० आरक्षित वनभूमि एवं उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग-3 संख्या-130/X-3-22/1(136)/2018 देहरादून दिनांक 21 दिसम्बर 2022 को 4.185 है० क्षेत्रफल सरक्षित वन घोषित कर दिया गया है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 01 एवं 02 की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-1,2,3)
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक संख्या-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमानमूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक संख्या-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा कर दी गयी है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 03 की छायाप्रति संलग्न है।
3.	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरें में अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 04 की छायाप्रति संलग्न है।
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक संख्या-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) तथा दुसरी सभी निधियां (C/A cost, NPV etc) को बैंक पोर्टल पर ऑनलाइन जनरेट किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गई राशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन के रूप में मान्य नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक संख्या-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा कर दी गई है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 05 की छायाप्रति संलग्न है।
5.	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Cental Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आपने व्यय पर वन विभाग की देखरख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 06 की छायाप्रति संलग्न है।
6.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जायेगी।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 07 की छायाप्रति संलग्न है।

7	एन०पी०वी० की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन०पी०वी० देने के लिए बाध्य होगा।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 04 की छायाप्रति संलग्न है।
8	प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 23.347 है० (19.1620 है० अपर यमुना, नालुका तोक, ग्राम थली एवं 4.185 है० फारेस्ट डिविजन) है० ग्राम-नालुकातोक, ग्राम थली सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।	उत्तरखण्ड शासनवन अनुभाग-3 संख्या-1047/X-3-22/14(02)/2021 भाग-1 देहरादून दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को 19.162 है० आरक्षित वन भूमि एवं उत्तरखण्ड शासन वन अनुभाग-3 संख्या-130/X-3-22/1(136)/2018 देहरादून दिनांक 21 दिसम्बर 2022 को 4.185 है० क्षेत्रफल संरक्षित वन घोषित कर दिया गया है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 01 एवं 02 की छायाप्रति संलग्न है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगा या जायेगा।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 08 की छायाप्रति संलग्न है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर०सी०सी० पिलरल लगा कर सीमांकन करेगा जिन पर Forword एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 09 की छायाप्रति संलग्न है।
11	सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip plantation की जाएगी।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 06 की छायाप्रति संलग्न है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों की क्षति न पहुँचे।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 10 की छायाप्रति संलग्न है।
13	परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 11 की छायाप्रति संलग्न है।
14	ज व भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 12 की छायाप्रति संलग्न है।
15	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 507 (Upper Yamuna FD-313 एवं Tons FD-194) से अधिक न हो।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 13 की छायाप्रति संलग्न है।
16	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 14 की छायाप्रति संलग्न है।
17	यदि कोई अन्य अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय /आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 15 की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार 03 प्रतियाँ।

भवदीय,
(सुबोध कुमार काला)
उप वन संरक्षक,
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।

प्रतिलिपि :- वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तरखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुबोध कुमार काला)
उप वन संरक्षक,
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,

फोन/फैक्स नं०- 01375-224233 E-Mail dfobarkot@gmail.com वन मित्र कॉल सेंटर-9208008000

G28

पत्राक-1571/ 12-1 दिनांक, बड़कोट, 20 / जनवरी / 2023 ।

सेवामें,

✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत नौगांव-पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से थलीगांव मोटर मार्ग निर्माण हेतु 11.8735 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्राक संख्या 08बी/यू०सी०पी०/०६/१०९/२०१८/एफ०सी०/१५३ दिनांक २९.०४.२०१९ ।

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयगत मोटर मार्ग निर्माण की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। विधिवत स्वीकृति हेतु उल्लेखित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रयोक्ता ऐजन्सी द्वारा अपने पत्रांक 43/पी०एम०जी०एस०वाई०/सि०ख० दिनांक ०९.०१.२०२३ से इस कार्यालय को पेशित किया गया है। जिसकी अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है।

क्र० सं०	शर्त	अनुपालन आख्या
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 23.347 है० (19.1620 है० अपर यमुना, नालुका तोक, ग्राम थली एवं 4.185 है० फारेस्ट डिविजन) है० ग्राम- नालुका तोक, ग्राम थली सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चा ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	उत्तरखण्ड शासन वन अनुभाग-3 संख्या-1047/X-3-22/14(02)/2021 भाग-1 देहरादून दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को 19.162 है० आरक्षित वन भूमि एवं उत्तरखण्ड शासन वन अनुभाग-3 संख्या-130/X-3-22/1(136)/2018 देहरादून दिनांक 21 दिसम्बर 2022 को 4.185 है० क्षेत्रफल संरक्षित वन घोषित कर दिया गया है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 01/562 .. की छायाप्रति संलग्न है।
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक संख्या-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक संख्या-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा कर दी गयी है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 03 की छायाप्रति संलग्न है।
3.	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरें में अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बढता प्रस्तुत की जाए।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 04 की छायाप्रति संलग्न है।

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक संख्या-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां (CA cost, NPV etc) को बैंक पोर्टल पर ऑन लाईन जनरेट किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑल लाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गई राशि सैन्धान्ति स्वीकृति की अनुपालन के रूप में माय नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक संख्या-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा कर दी गई है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 05 की छायाप्रति संलग्न है।
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां जहां सभा हो सड़क के दोनों किनारों तथा Cental Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बढ़ता प्रेषित करनी होगी।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 06 की छायाप्रति संलग्न है।
6	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जायेगी।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 07 की छायाप्रति संलग्न है।
7	एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बड़ी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 04 की छायाप्रति संलग्न है।
8	प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 23.347 है० (19.1620 है० अपर यमुना, नालुका तोक, ग्राम थली एवं 4.185 है० फारेस्ट डिविजन) है० ग्राम- नालुका तोक, ग्राम थली सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।	उत्तरखण्ड शासन वन अनुभाग-3 संख्या-1047/X-3-22/14(02)/2021 भाग-1 देहरादून दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को 19.162 है० आरक्षित वन भूमि एवं उत्तरखण्ड शासन वन अनुभाग-3 संख्या-130/X-3-22/1(136)/2018 देहरादून दिनांक 21 दिसम्बर 2022 को 4.185 है० क्षेत्रफल संरक्षित वन घोषित कर दिया गया है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 152 की छायाप्रति संलग्न है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 08 की छायाप्रति संलग्न है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यार्वतन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 09 की छायाप्रति संलग्न है।
11	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां सभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip plantation की जाएगी।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 06 की छायाप्रति संलग्न है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों की क्षति न पहुँचे।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 10 की छायाप्रति संलग्न है।

13	परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या.....11.....की छायाप्रति संलग्न है।
14	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या.....12.....की छायाप्रति संलग्न है।
15	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 507(Upper Yamuna FD-313 एवं Tons FD-194) से अधिक न हो।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या.....12.....की छायाप्रति संलग्न है।
16	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या.....14.....की छायाप्रति संलग्न है।
17	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या.....15.....की छायाप्रति संलग्न है।

अतः महोदय की सेवा में सूचना सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार 03 प्रतियों में।

भवदीय



(सुबोध कुमार काला)
प्रभागीय वनाधिकारी,

अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)।



(सुबोध कुमार काला)
प्रभागीय वनाधिकारी,

अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।

परियोजना का नाम:- जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगांव - पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से थली गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई किमी० 10.175)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट

वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम - नालुका लौक, ग्राम खली
रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या - 2000 पौध प्र० है०

वृक्षारोपण हेतु क्षेत्रफल - 19.1620 हे०
9.5818 है०

क्र०सं०	कार्य का विवरण	ईकाई	मात्रा	दर	धनराशि
	अग्रिम मृदा कार्य				
1	सर्वे एवं सीमांकन	प्र० है० /	19.162	92.0	₹ 1,762.90
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	प्र० है० /	19.162	1214.0	₹ 23,262.67
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फैन्सिंग) प्र० है० 84 घ०मी० औसत	प्र० घ०मी०	699.72	224.0	₹ 1,56,737.28
4	अग्रिम मृदा कार्य (0.30x 0.30x0.45)	प्र० गड़्ढा ,	16660	5.70	₹ 94,962.00
5	निरीक्षण बटिया बनाना	प्र० है०	19.162	373.0	₹ 7,147.43
6	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	प्र० है०	16660	4.58	₹ 76,302.80
7	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयंत्र औजार तेज करना	ल०स०	19.162	376.0	₹ 376.00
8	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण (10 है० को आधार मनाते हुये) परकुलेशन टैंक (वर्षा जल संरक्षण)	प्र० है०	19.162	7040.0	₹ 1,34,900.48
८	प्रथम चरण योग-				₹ 4,95,451.56
1	गड़्ढा भरान कार्य	प्र० गड़्ढा	16660	0.97	₹ 16,160.20
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	प्र० है०	16660	0.82	₹ 13,661.20
3	पौधों डुलान कार्य	प्र० है०	16660	5.00	₹ 83,300.00
4	पौधरोपण व घेराबन्दी	प्र० है०	16660	2.00	₹ 33,320.00
5	निराई गुड़ाई व मल्लिंग (दो बार)	प्र० है०	16660	2.00	₹ 33,320.00
6	खाद व दवा पर व्यय	प्र०स० पौ	16660	0.16	₹ 2,665.60
7	देख-रेख व रखरखाव रोपण वर्ष में 9 माह (कम से कम 10 है० पर)	प्र० है०	19.162	4752.0	₹ 91,057.82
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील	प्र० है०	19.162	282.0	₹ 5,403.68
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेराबाड़ के बाहर चार मीटर चौड़ी पट्टी साफ करना	प्र० है०	19.162	213.0	₹ 4,081.51
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।				
	अ. प्रशिक्षण	प्र० है०	19.162	444.0	₹ 8,507.93
	ब. प्रोत्साहन	प्र० है०	19.162	222.0	₹ 4,253.96
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध डुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलिथीन सीट क्रय वर्ष में दो-तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य	प्र० है०	19.162	1021.0	₹ 19,564.40
	द्वितीय चरण योग-				₹ 3,15,296.31

	तृतीय वर्ष अनुरक्षण				
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है० आधार मानकर)	प्र० है०	19.162	6336.0	₹ 1,21,410.43
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	प्र० है०	19.162	282.0	₹ 5,403.68
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बारह 4 मी० की पट्टी साफ करना	प्र० है०	19.162	213.0	₹ 4,081.51
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना				
	अ. प्रशिक्षण	प्र० है०	19.162	444.0	₹ 8,507.93
	ब. प्रोत्साहन	प्र० है०	19.162	222.0	₹ 4,253.96
	तृतीय चरण योग-				₹ 1,43,657.51
	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है० आधार मानकर)	प्र० है०	19.162	6336.0	₹ 1,21,410.43
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	प्र० है०	19.162	282.0	₹ 5,403.68
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	प्र० है०	19.162	213.0	₹ 4,081.51
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।				
	अ. प्रशिक्षण	प्र० है०	19.162	444.0	₹ 8,507.93
	ब. प्रोत्साहन	प्र० है०	19.162	222.0	₹ 4,253.96
	चतुर्थ चरण योग-				₹ 1,43,657.51
	पंचम वर्ष अनुरक्षण				
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है० आधार मानकर)	प्र० है०	19.162	6336.0	₹ 1,21,410.43
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	प्र० है०	19.162	282.0	₹ 5,403.68
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बारह 4 मी० की पट्टी साफ करना	प्र० है०	19.162	213.0	₹ 4,081.51
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना				
	अ. प्रशिक्षण	प्र० है०	19.162	444.0	₹ 8,507.93
	ब. प्रोत्साहन	प्र० है०	19.162	222.0	₹ 4,253.96
	पंचम चरण योग-				₹ 1,43,657.51

षष्ठम वर्ष अनुरक्षण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्र0 है0	19.162	6336.0	₹ 1,21,410.43
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	प्र0 है0	19.162	282.0	₹ 5,403.68
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	प्र0 है0	19.162	213.0	₹ 4,081.51
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।				
	अ. प्रशिक्षण	प्र0 है0	19.162	444.0	₹ 8,507.93
	ब. प्रोत्साहन	प्र0 है0	19.162	222.0	₹ 4,253.96
	षष्ठम चरण योग-				₹ 1,43,657.51
सप्तम वर्ष अनुरक्षण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्र0 है0	19.162	6336.0	₹ 1,21,410.43
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	प्र0 है0	19.162	282.0	₹ 5,403.68
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	प्र0 है0	19.162	213.0	₹ 4,081.51
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।				
	अ. प्रशिक्षण	प्र0 है0	19.162	444.0	₹ 8,507.93
	ब. प्रोत्साहन	प्र0 है0	19.162	222.0	₹ 4,253.96
	सप्तम चरण योग-				₹ 1,43,657.51
अष्टम वर्ष अनुरक्षण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्र0 है0	19.162	6336.0	₹ 1,21,410.43
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	प्र0 है0	19.162	282.0	₹ 5,403.68
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	प्र0 है0	19.162	213.0	₹ 4,081.51
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।				
	अ. प्रशिक्षण	प्र0 है0	19.162	444.0	₹ 8,507.93
	ब. प्रोत्साहन	प्र0 है0	19.162	222.0	₹ 4,253.96
	अष्टम चरण योग-				₹ 1,43,657.51

नवम वर्ष अनुरक्षण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 हे० आधार मानकर)	प्र० हे०	19.162	6336.0	121410.43
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	प्र० हे०	19.162	282.0	5403.68
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	प्र० हे०	19.162	213.0	4081.51
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।				
	अ. प्रशिक्षण	प्र० हे०	19.162	444.0	8507.93
	ब. प्रोत्साहन	प्र० हे०	19.162	222.0	4253.96
	नवम चरण योग-				143667.51
दशवां वर्ष अनुरक्षण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 हे० आधार मानकर)	प्र० हे०	19.162	6336.0	121410.43
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	प्र० हे०	19.162	282.0	5403.68
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	प्र० हे०	19.162	213.0	4081.51
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।				
	अ. प्रशिक्षण	प्र० हे०	19.162	444.0	8507.93
	ब. प्रोत्साहन	प्र० हे०	19.162	222.0	4253.96
	दशवां चरण योग-				143667.51
	प्रथम चरण से दशवां चरण का योग-			Rs.	1960007.98
				Say = Rs.	1960008.00

क्षतिपूर्ति वृक्षा रोपण हेतु दस वर्षीय आगणित कुल व्यय प्रति हे० = 1960008.00

परियोजना निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल = 9.5810 हे०।

दुगने क्षतिपूर्क वृक्षा रोपण हेतु अपेक्षित धनराशि = ₹ 1960008.00

पुनरुत्थ वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक- क 972/3-5-2(11) = 5873747.02
दिनांक 21-11-2017 के अनुसार वसूली वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित दर
के अनुसार ₹ 3065 31.00/हे० = 19.162 x 306531.00

Ruman
वर्गिष्ठ अभियन्ता

Amr
Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Puroia (Uttarkashi)

Executive Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Puroia (Uttarkashi)

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

[Signature]

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

परियोजना का नाम:- जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगांव - पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से थली गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई किमी० 10.175)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

टौंस वन प्रभाग, पुरोला

वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम - नालुका लोक, ग्राम थली, पुरोला वृक्षारोपण हेतु क्षेत्रफल - 4.185 है०
रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या - 2000 पौध प्र० है०

क्र०सं०	कार्य का विवरण	ईकाई	मात्रा	दर	धनराशि
	अग्रिम मृदा कार्य				
1	सर्वे एवं सीमांकन	प्र० है०	4.1850	92.0	₹ 385.02
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	प्र० है०	4.1850	1214.0	₹ 5,080.59
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फैन्सिंग) प्र० है० 84 घ०मी० औसत	प्र०घ०मी०	699.72	224.0	₹ 156,737.28
4	अग्रिम मृदा कार्य (0.30x0.30x0.45)	प्र० गड्ढा	16660	5.70	₹ 94,962.00
5	निरीक्षण बटिया बनाना	प्र० है०	4.1850	373.0	₹ 1,561.01
6	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	प्र० है०	16660	4.58	₹ 76,302.80
7	अन्य व्यय जैसे दंत्र, संयंत्र औजार तेज करना	ल०स०	4.1850	376.0	₹ 376.00
8	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण (10 है० को आधार मनाते हुये) परकुलेशन टैंक (वर्षा जल संरक्षण)	प्र० है०	4.1850	7040.0	₹ 29,462.40
	प्रथम चरण योग-				₹ 364,867.10
1	गड्ढा भराना कार्य	प्र० गड्ढा	16660	0.97	₹ 16,160.20
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	प्र० है०	16660	0.82	₹ 13,661.20
3	पौधों डुलान कार्य	प्र० है०	16660	5.00	₹ 83,300.00
4	पौधरोपण व घेराबन्दी	प्र० है०	16660	2.00	₹ 33,320.00
5	निराई गुड़ाई व मलिंग (दो बार)	प्र० है०	16660	2.00	₹ 33,320.00
6	खाद व दवा पर व्यय	प्र०सै० पौ	16660	0.16	₹ 2,665.60
7	देख-रेख व रखरखाव रोपण वर्ष में 9 माह (कम से कम 10 है० पर)	प्र० है०	4.1850	4752.0	₹ 19,887.12
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील	प्र० है०	4.1850	282.0	₹ 1,180.17
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरावाड़ के बाहर चार मीटर चौड़ी पट्टी साफ करना	प्र० है०	4.1850	213.0	₹ 891.41
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।				
	अ. प्रशिक्षण	प्र० है०	4.1850	444.0	₹ 1,858.14
	ब. प्रोत्साहन	प्र० है०	4.1850	222.0	₹ 929.07
	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध डुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलिथीन सीट क्रय वर्ष में दो-तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार प्रसार एवं डेक्कूमेंटेशन आदि कार्य	प्र० है०	4.1850	1021.0	₹ 4,272.89
9	द्वितीय चरण योग-				

	तृतीय वर्ष अनुरक्षण				
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 हे० आधार मानकर)	प्र० हे०	4.1850	6336.0	₹ 26,516.16
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	प्र० हे०	4.1850	282.0	₹ 1,180.17
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बारह 4 मी० की पट्टी साफ करना	प्र० हे०	4.1850	213.0	₹ 891.41
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना				
	अ. प्रशिक्षण	प्र० हे०	4.1850	444.0	₹ 1,858.14
	ब. प्रोत्साहन	प्र० हे०	4.1850	222.0	₹ 929.07
	तृतीय चरण योग-				₹ 31,374.95
	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण				
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 हे० आधार मानकर)	प्र० हे०	4.1850	6336.0	₹ 26,516.16
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	प्र० हे०	4.1850	282.0	₹ 1,180.17
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	प्र० हे०	4.1850	213.0	₹ 891.41
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।				
	अ. प्रशिक्षण	प्र० हे०	4.1850	444.0	₹ 1,858.14
	ब. प्रोत्साहन	प्र० हे०	4.1850	222.0	₹ 929.07
	चतुर्थ चरण योग-				₹ 31,374.95
	पंचम वर्ष अनुरक्षण				
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 हे० आधार मानकर)	प्र० हे०	4.1850	6336.0	₹ 26,516.16
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	प्र० हे०	4.1850	282.0	₹ 1,180.17
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बारह 4 मी० की पट्टी साफ करना	प्र० हे०	4.1850	213.0	₹ 891.41
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना				
	अ. प्रशिक्षण	प्र० हे०	4.1850	444.0	₹ 1,858.14
	ब. प्रोत्साहन	प्र० हे०	4.1850	222.0	₹ 929.07
	पंचम चरण योग-				₹ 31,374.95

	षष्ठम वर्ष अनुरक्षण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्र0 है0	4.1850	6336.0	₹ 26,516.16
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	प्र0 है0	4.1850	282.0	₹ 1,180.17
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	प्र0 है0	4.1850	213.0	₹ 891.41
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूककरता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।				
	अ. प्रशिक्षण	प्र0 है0	4.1850	444.0	₹ 1,858.14
	ब. प्रोत्साहन	प्र0 है0	4.1850	222.0	₹ 929.07
	षष्ठम चरण योग-				₹ 31,374.95
	सप्तम वर्ष अनुरक्षण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्र0 है0	4.1850	6336.0	₹ 26,516.16
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	प्र0 है0	4.1850	282.0	₹ 1,180.17
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	प्र0 है0	4.1850	213.0	₹ 891.41
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूककरता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।				
	अ. प्रशिक्षण	प्र0 है0	4.1850	444.0	₹ 1,858.14
	ब. प्रोत्साहन	प्र0 है0	4.1850	222.0	₹ 929.07
	सप्तम चरण योग-				₹ 31,374.95
	अष्टम वर्ष अनुरक्षण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्र0 है0	4.1850	6336.0	₹ 26,516.16
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	प्र0 है0	4.1850	282.0	₹ 1,180.17
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	प्र0 है0	4.1850	213.0	₹ 891.41
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूककरता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।				
	अ. प्रशिक्षण	प्र0 है0	4.1850	444.0	₹ 1,858.14
	ब. प्रोत्साहन	प्र0 है0	4.1850	222.0	₹ 929.07
	अष्टम चरण योग-				₹ 31,374.95

नवम वर्ष अनुरक्षण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्र0 है0	4.1850	6336.0	₹ 26,516.16
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	प्र0 है0	4.1850	282.0	₹ 1,180.17
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	प्र0 है0	4.1850	213.0	₹ 891.41
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।				
	अ. प्रशिक्षण	प्र0 है0	4.1850	444.0	₹ 1,858.14
	ब. प्रोत्साहन	प्र0 है0	4.1850	222.0	₹ 929.07
	नवम चरण योग-				₹ 31,374.95
दशवां वर्ष अनुरक्षण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्र0 है0	4.1850	6336.0	₹ 26,516.16
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	प्र0 है0	4.1850	282.0	₹ 1,180.17
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	प्र0 है0	4.1850	213.0	₹ 891.41
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।				
	अ. प्रशिक्षण	प्र0 है0	4.1850	444.0	₹ 1,858.14
	ब. प्रोत्साहन	प्र0 है0	4.1850	222.0	₹ 929.07
	दशवां चरण योग-				₹ 31,374.95
	प्रथम चरण से दशवां चरण का योग-			Rs.	₹ 827,312.45
				Say = Rs.	₹ 827,313.00

क्षतिपूर्ति वृक्षा रोपण हेतु दस वर्षीय आगणित कुल व्यय प्रति है० = ₹ 827,313.00
 2.0925
 परियोजना निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल = 5.2653 है०।
 दुगने क्षतिपूरक वृक्षा रोपण हेतु अपेक्षित धनराशि = ₹ 827,313.00

पुष्कर वन संरक्षक इलाका देहरादून का प्लॉट क्र. 972/3-5-2(II)
 दिनांक 21-11-2017 के अनुसार वृक्षों वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित दर
 के अनुसार ₹ 306531-00/है = $4.185 \times 306,531 =$

₹ 12,82,832.

Reman
 कनिष्ठ अभियन्ता

Anil
 Assistant Engineer
 P.M.G.S.Y Irrigation Division
 Purota (Uttarkashi)

Executive Engineer
 P.M.G.S.Y. Irrigation Division
 Purota (Uttarkashi)

वन संरक्षक
 पुरोता

वन प्रभागीन वनाधिकारी
 टोप वन प्रभाग,
 पुरोता

(संदीप कुमार)
 उप वन संरक्षक
 टोप वन प्रभाग, पुरोता

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून

25 सुभाष रोड, देहरादून -248001

दूरभाष: 0135-2650809

फैक्स: 0135-2653010

ईमेल - moef.ddn@gov.in



सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &

CLIMATE CHANGE

INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN

25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001

PHONE- 0135-2650809

FAX- 0135-2653010

Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8वीं/यू.सी.पी./06/07/2021/एफ.सी./1685

दिनांक: 01/03/2023

सेवा में,

- ✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



विषय:- जनपद- उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव के अन्तर्गत पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी 2.00 से थली गांव मोटर मार्ग हेतु 11.6735 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/23445/2017)

सन्दर्भ:- कार्यालय- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक - 1825/FP/UK/ROAD/23445/2017 दिनांक 31.01.2023

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 29-04-2019 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्रस्तुत अनुपालना आख्या के अवलोकन पर निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गयी है। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें:-

- 1) रुपये 71,56,579/- की क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना जिसके आधार पर कैम्पा कोष में धनराशि जमा की गई है की प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करना करने का कष्ट करें।
- 2) प्रस्ताव में कुछ स्थानों पर अनियमित रूप से मलवा निस्तारण पाया गया है जो कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में लगाई गई शर्त संख्या 11 का उल्लंघन है। राज्य शासन इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

उपरोक्त बिंदुओं पर जानकारी / दस्तावेज / स्पष्टीकरण की पूर्तता के उपरांत ही प्रस्ताव पर आग्रिम

कार्यवाही की जा सकेगी।

कार्यालय

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

कार्यालय

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड

भवदीय,

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

पंजीकृत सं० 4506

पत्रावली 10-3-23

दिनांक 10-3-23

- प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-
1. अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodal@ca.forest@uk.gov.in

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक-1421 / 12-1 : देहरादून: दिनांक: 16 नवम्बर, 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग,
बड़कोट।

विषय:- जनपद-उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नौगांव पुरोला मोटर मार्ग किमी 0 2.00 से थली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 11.6735 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में।(FP/UK/ROAD/23445/2017)

सन्दर्भ:- 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र सं०-8बी./यू.सी.पी. /06/07/2021/एफ०सी०/1685, दिनांक-01.03.2023।
2. इस कार्यालय के पत्र सं०-1623, दिनांक-16.02.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगतनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण पर भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा 02 बिन्दुओं की सूचना चाही गयी है। उक्त के अनुपालन में सूचना आख्या मंगाने हेतु इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा आपको लिखा गया था, जिसकी सूचना अतिथि तक-इस कार्यालय को अप्राप्त है। प्रश्नगत प्रकरण भारत सरकार के पत्र दिनांक-01.03.2023 द्वारा चाही गयी सूचना के कम में काफी समय से लम्बित चले आने के कारण भारत सरकार के निर्देशानुसार यदि प्रकरणों में चाही गयी सूचना निर्धारित समयान्तर्गत प्रेषित नहीं की जाती है, तो प्रकरणों को भारत सरकार द्वारा निरस्त किया जा सकता है। विदित है कि वन भूमि हस्तान्तरण जैसे महत्वपूर्ण प्रकरणों पर समय की महत्ता के दृष्टिगत विशेष ध्यानाकर्षण अपेक्षित है।

अतः भारत सरकार द्वारा चाही गयी सूचना बिन्दुवार ऑनलाईन/ऑफलाईन यथाशीघ्र वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि सूचना ससमय भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(आर०के०मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्या-1421 / 12-1 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से प्रस्तावक विभाग को उक्त प्रकरण पर सूचना मंगाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
- अधिशायी अभियंता, पी०एम०जी०एस०वाई, सिंचाई खण्ड, पुरोला, उत्तरकाशी को उक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

आभागीना

अपर यमुना वन विभाग (बड़कोट)

4/10/24

9/10/24

पंजी संख्या 2268
पत्रावली संख्या 12-1
प्रकरण संख्या
दिनांक 16/11/24

भवदीय,

(आर०के०मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून।